

खण्डपीठ क्रमांक-21

09-09-17

प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ उप0।

आरोपीगण सहित अधिवक्ता श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उप0।

फरियादी राजेश उप0।

फरियादी की पहचान अधिवक्ता श्री सुनील कांकर द्वारा की गयी है।

प्रकरण आज राजीनामे की कार्यवाही हेतु नियत है।

उभयपक्षों द्वारा द.प्र.स. की धारा 320(2) के अंतर्गत राजीनामा आवेदन मय राजीनामा पेश किया गया है।

राजीनामा आवेदन पर विचार किया गया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण में आरोपीगण पर भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए हैं। फरियादी राजेश गुर्जर ने आरोपीगण से स्वेच्छापूर्वक बिना किसी दबाव के राजीनामा कर लेना व्यक्त किया है। राजीनामा पक्षकारों के हित में है एवं लोकनीति के अनुरूप है। अतः बाद विचार उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाता है एवं उभयपक्षों को प्रकरण में राजीनामा करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा के आधार पर आरोपी भूरा उर्फ लोकेन्द्रसिंह, पिन्का उर्फ जयकरन, करूआ उर्फ शिशुपाल, एवं जसवंतसिंह गुर्जर को भा0द0स0 की धारा 294, 323 एवं 506 भाग दो आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

आरोपीगण पूर्व से जमानत पर है अतः उनके जमानत एवं मुचलके भारहीन किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा बबूल के डण्डे एवं कुल्हाड़ी मूल्यहीन होने तोड़तोड़कर नष्ट किए जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण को अभिलेखागार भेजा जावे।

खण्डपीठ सदस्य. क.1-

क.2-

सही/-

(प्रतिष्ठा अवस्थी)

पीठासीन अधिकारी

खण्डपीठ क्र0 21 गोहद

जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)